खुमान सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1283)

/

अगस्त 27,2019

**[**आर**.** भानुमति और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860 -s.302-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 -धारा 3 (2) (v)-हत्या-अभियोजन मामला कि जब पीड़ित खेत में खेती कर रहा था और अपने मवेशियों को चरवा रहा था, तो अपीलार्थी-अभियुक्त पीड़ित के खेत में आया और अपनी भैंसों को चराने के लिए छोड़ दिया-एक जुबानी बहस में, अपीलार्थी ने पीड़ित के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसके कारण पीड़ित गिर गया और बाद में उसने दम तोड़ दिया-अपीलार्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।302 भारतीय दंड संहिता सी. और यू/एस.3(2)(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-विचारण न्यायालय ने अधिनियम की उक्त धाराओं के अंतर्गत अपीलार्थी को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की-अपील पर अभिनिर्धारित किया:तत्काल मामले में, अपीलार्थी और मृतक ने अपशब्दों का आदान-प्रदान किया, जिस पर अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर वार किए जिससे उसके सिर पर छह चोटें आईं-जहां घटना अचानक हुई और आरोपी की ओर से कोई पूर्वधारणा नहीं की गई, यह अपवाद 4 से एस के अंतर्गत आता है।300 भारतीय दंड संहिता सी.-इसलिए, अपीलार्थी यू/एस का दोषसिद्धि।302 भारतीय दंड संहिता सी. को यू/एस के तहत दोषसिद्धि के रूप में संशोधित किया गया है।304 भारतीय दंड संहिता सी. का भाग-II-जहां तक एस. सी./एस. टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि का संबंध है, अभिलेख पर साक्ष्य और अन्य सामग्रियों से यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा अपराध केवल इसलिए किया गया था क्योंकि मृतक अनुसूचित जाति से था-इस प्रकार, यू/एस.3(2)(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पोषणीय नहीं है।

/

/

/

/

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.** यह पूरी घटना एक अचानक लड़ाई में हुई थी जिसमें अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाई थी।लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं था।अपीलार्थी की भैंसों को चराने के तुच्छ मुद्दे के कारण पक्षों के बीच अचानक झगड़ा हो गया, जिसके लिए मृतक ने

/

270

271

खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.

आपत्ति जताई।अचानक हुई लड़ाई में, अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया था जिससे सिर पर छह चोटें आई थीं।हालाँकि अपीलार्थी द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार कुल्हाड़ी था और चोटें शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से यानी सिर पर लगी थीं, लेकिन यह जानकारी अपीलार्थी-अभियुक्त को दी जा सकती है कि चोटों से मृत्यु होने की संभावना है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना अचानक लड़ाई में थी, हमारे विचार में, यह घटना आईपीसी की धारा **300** के अपवाद **4** के अंतर्गत आती है। इसलिए भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **304** भाग **II** के अंतर्गत अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को दोषसिद्धि के रूप में संशोधित किया जाना है। **[**पैरा **10] [275-**डी-एफ**]**

/

/

**2.** विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति **(**अत्याचार निवारण**)** अधिनियम की धारा **3 (2) (v)** के अंतर्गत दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है**?**मृतक **"**खंगार**"** जाति का है और एक मौखिक विवाद में कहा जाता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक को उसकी जाति के नाम **"**खंगार**"** से बुलाया और उस पर

कुल्हाड़ी से हमला किया।जब भैंसों को चराने के बारे में अचानक झगड़ा हुआ तो मृतक को उसके जाति के नाम से बुलाना निश्चित रूप से मैदान में होता है।**[**पैरा **11] [275-**जी**-**एच**]**

/

**3.** अधिनियम की धारा **3 (2) (v)** का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों के संबंध में किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ दस साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय सजा का प्रावधान करना है**,** यह जानते हुए कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।वर्तमान मामले में**,** यह अधिनियम कि मृतक **"**खंगर**"-** अनुसूचित जाति से संबंधित था**,** विवादित नहीं है।यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपराध केवल इस आधार पर किया गया था कि पीड़ित अनुसूचित जाति का सदस्य था और इसलिए**,** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति **(**अत्याचार निवारण**)** अधिनियम की धारा **3 (2) (v)** के अंतर्गत अपीलार्थी**-**अभियुक्त की दोषसिद्धि पोषणीय नहीं है।**[**पैरा **12,13] [276-**एफ**; 277-**बी**-**सी**]**

/

/

/

दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य **(2006) 3** एससीसी

**771 :[2006] 2** एस**.** सी**.** आर**. 793-**निर्भर।संदर्भित निर्णय

**[2006] 2** एससीआर **793**

पर विश्वास किया

पैरा **13**

/

272

/

[2019] 11 एस सी आर।

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2019 की आपराधिक अपील संख्या 1283।

2006 के सी. आर. ए. सं. 799 में ग्वालियर में उच्च न्यायालय की एम. पी. पीठ के दिनांक 02.02.2018 के निर्णय और आदेश से

डॉ. जे. पी. ढांडा, रानी ढांडा, विनीत ढांडा, एन. ए. उस्मानी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

सुश्री प्रगति नीखरा, ए. ए. जी., सुश्री कावेरी वत्स, राहुल कौशिक, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

आर. भानुमति, जे.

अनुमति दी गई।

2. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ग्वालियर पीठ में 2006 में पारित आपराधिक अपील No.799 में दिनांकित 02.02.2018 के निर्णय से उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) और उस पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की।

/

/

3. जिन संक्षिप्त तथ्यों के कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैं:- 14.08.2005 पर लगभग 11 बजे:00 एएम, शिकायतकर्ता-राजाराम (पीडब्लू-1) अपने भाई रघुवीर (पीडब्लू-2), मृतक वीर सिंह और रिश्तेदार बादाम सिंह (पीडब्लू-7) के साथ खेतों में खेती करने और अपने मवेशियों को चराने गए थे।जब मृतक वीर सिंह खेत में खेती कर रहे थे और अन्य मवेशी चर रहे थे, तो अपीलकर्ता-आरोपी खुमान सिंह मृतक वीर सिंह के खेत में आया और अपनी भैंसों को चराने के लिए छोड़ दिया।मृतक वीर सिंह ने इस पर आपत्ति जताई और अपीलार्थी-अभियुक्त की भैंसों को अपने खेत से बाहर निकाल दिया, जिस पर अपीलार्थी क्रोधित हो गया और मृतक को गाली देना और डांटना शुरू कर दिया कि मृतक जो खंगार जाति का है, कैसे ठाकुरों की भैंसों को अपने खेत से बाहर निकाल सकता है।जब मृतक ने इसका विरोध किया, तो यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी ने मृतक को मारने के इरादे से उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसके कारण मृतक वीर सिंह नीचे गिर गया।इसके बाद, अपीलार्थी-अभियुक्त ने कथित तौर पर मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से दो-तीन वार किए।शिकायतकर्ता (पीडब्लू-1), उसके भाई (पीडब्लू-2) और बादाम सिंह (पीडब्लू-7) को आते देख, अपीलार्थी-अभियुक्त ए से भाग गया।

/

/

/

273

खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [आर. भानुमती, जे.] ए.

स्थान।मृतक की मौके पर ही मौत हो गई।राजाराम (पीडब्लू-1) ने देहाती नलशी/शिकायत (Ex.-P1) दर्ज की, जिसके आधार पर अपराध मामले No.306/2005 में अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। डॉ. प्रदीप शर्मा (पीडब्लू-5) ने मृतक वीर सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया था और उसके सिर पर छह घाव पाए थे।पीडब्लू-5 ने पोस्टमॉर्टम प्रमाणपत्र (Ex.P10) जारी किया जिसमें कहा गया कि मृत्यु का कारण अत्यधिक बाहरी और आंतरिक रक्तस्राव के कारण सदमा था।जाँच पूरा होने पर, अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया गया था।

/

/

4. अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने तीन चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की। राजाराम (पीडब्लू-1), रघुवीर (पीडब्लू-2) और बादाम सिंह (पीडब्लू-7) जिन्होंने घटना के बारे में बात की है और आर. सी. भोज, पुलिस प्रभारी (पीडब्लू-4), जिन्होंने देहाती नलशी (Ex.-P1), डॉ. प्रदीप शर्मा (पीडब्लू-5), जिन्होंने मृतक और अन्य गवाहों के शव का पोस्टमार्टम किया है, को दर्ज किया है।साक्ष्य पर विचार करने पर, निचली विचारण न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी-आरोपी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।चूंकि मृतक अनुसूचित जाति का था, इसलिए अपीलकर्ता-अभियुक्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत भी दोषी ठहराया गया था और उसे 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पीड़ित होने के कारण, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

/

5. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए कहा कि धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत गवाहों के बयान दर्ज करने में केवल देरी अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं है।मोहिंदर कंवर (पीडब्लू-9)-जाँच अधिकारी के साक्ष्य का उल्लेख करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि इलाके में सांप्रदायिक तनाव था और इसलिए, पीडब्लू-9 तुरंत गवाहों के बयान दर्ज नहीं कर सका और इसलिए, गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी से अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी (Ex.-P9) भेजने में देरी को अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है।जहाँ तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत दोषसिद्धि का संबंध है।

/

/



जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक वीर सिंह खंगार जाति से था जो एक अनुसूचित जाति है और जब मृतक ने अपीलकर्ता-अभियुक्त के मृतक के खेत में अपने मवेशियों को छोड़ने के कार्य पर आपत्ति जताई, तो अपीलकर्ता क्रोधित हो गया और डांटा कि चूंकि मृतक खंगार जाति का है, इसलिए वह ठाकुर जाति के व्यक्ति के मवेशियों को चलाने की हिम्मत कैसे कर सकता है और इसलिए, अभियोजन पक्ष ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत अपराध को साबित कर दिया है और अपीलकर्ता पर लगाए गए कारावास की सजा में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

/

6. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. जे. पी. ढांडा और मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री प्रगति नीखरा को सुना है और अभिलेख पर आक्षेपित निर्णय , साक्ष्य और अन्य सामग्रियों का अध्ययन किया है।विचार के लिए मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना टिकाऊ है?

/

/

7. राजाराम (पीडब्लू-1) और रघुवीर सिंह (पीडब्लू-2) मृतक वीर सिंह के असली भाई हैं। बादाम सिंह (पीडब्लू-7) मृतक की पत्नी का असली भाई है और उस गाँव का निवासी नहीं है जहाँ घटना हुई थी।पीडब्लू 1,2 और 7, जो चश्मदीद गवाह हैं, ने लगातार कहा है कि आईडी1 की तारीख को, जब मृतक वीर सिंह खेत में खेती कर रहे थे और वे पास के स्थान पर अपनी भैंसों को चरा रहे थे, उस समय अपीलकर्ता-आरोपी खुमान सिंह अपनी भैंसों के साथ वहां आया और मृतक वीर सिंह के खेत के खेत में अपनी भैंसों को चराना शुरू कर दिया।जब मृतक ने भैंसों को अपने खेत से बाहर निकाल दिया, तो अपीलार्थी पर आरोप लगाया जाता है कि उसने मृतक को उसकी जाति "खंगर" कहकर गाली दी कि वह "ठाकुरों" की भैंसों को कैसे जबरन भगा सकता है।एक मौखिक विवाद में, अपीलार्थी-खुमान सिंह ने मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसके कारण मृतक नीचे गिर गया और बाद में उसने दम तोड़ दिया।पीडब्लू 1,2 और 7 के साक्ष्य पर विचार करने पर, जिन्होंने लगातार घटना के बारे में बात की है, अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से चोटें पहुंचाई थीं।

/

/

/

8. विचारणीय प्रश्न  यह है कि क्या अपीलार्थी-अभियुक्त जानबूझकर मृतक वीर सिंह की मृत्यु का कारण बना?यह पूरी घटना तब हुई जब अपीलार्थी अपनी भैंसों को मृतक के खेत में चराने के लिए ले गया था, जिसके लिए मृतक ने आपत्ति जताई और ए

/



सभी भैंसों को अपने खेत से बाहर निकाल दिया।इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी क्रोधित हो गया और मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया और कुल्हाड़ी से अचानक लड़ाई में उसके सिर पर चोटें लगाईं।घटना के लिए कोई पूर्व योजना नहीं थी और मवेशियों के चराई के कारण, अचानक लड़ाई में, घटना हुई थी।

/

9. विचार करने योग्य प्रश्न  यह है कि क्या अपीलार्थी-अभियुक्त का कार्य आई. पी. सी. अंतर्गत धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा?यदि मृत्यु हुई है तो भारतीय दंड संहिता  सी. की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू किया जा सकता हैः- (क) बिना पूर्व विचार के; (ख) अचानक लड़ाई में; (ग) अपराधी के अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किए बिना; और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी।वर्तमान मामले में,

अपीलार्थी-अभियुक्त और मृतक के बीच गाली-गलौज हुई, जिस पर अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर वार किए जिससे उसके सिर पर छह चोटें आईं।जहां घटना अचानक हुई और आरोपी की ओर से कोई पूर्व-योजना नहीं थी, यह भारतीय दंड संहिता  सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत  आता है।

/

/

10. जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, पूरी घटना अचानक हुई लड़ाई थी जिसमें अपीलार्थी-अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई थी।लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं था।अपीलार्थी की भैंसों को चराने के तुच्छ मुद्दे के कारण पक्षों के बीच अचानक झगड़ा हो गया, जिसके लिए मृतक ने आपत्ति जताई।अचानक हुई लड़ाई में, अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया था जिससे सिर पर छह चोटें आई थीं।हालाँकि अपीलार्थी द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार कुल्हाड़ी था और चोटें शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से यानी सिर पर लगी थीं, लेकिन यह जानकारी अपीलार्थी-अभियुक्त को दी जा सकती है कि चोटों से मृत्यु होने की संभावना है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना अचानक लड़ाई में थी, हमारे विचार में, यह घटना आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत  आती है। इसलिए भारतीय दंड संहिता  सी. की धारा 304 भाग II के अंतर्गत  अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को दोषसिद्धि के रूप में संशोधित किया जाना है।

/

/

11. विचार के लिए अगला प्रश्न  यह है कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत  दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है?मृतक "खंगार" जाति का है और एक मौखिक विवाद में कहा जाता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक को उसकी जाति के नाम "खंगार" से बुलाया और उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया।जब भैंसों को चराने के बारे में अचानक झगड़ा हुआ तो मृतक को उसके जाति के नाम से बुलाना स्वीकार्य है।

/

/

12. अभिलेख पर साक्ष्य और अन्य सामग्रियों से यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपराध अपीलार्थी द्वारा केवल इसलिए किया गया था क्योंकि मृतक अनुसूचित जाति का था। निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने मृतक वीर सिंह को डांटा कि वह "खंगर" जाति से है और कैसे वह "ठाकुर" जाति से संबंधित व्यक्ति के मवेशियों को भगा सकता है और इसलिए, अपीलकर्ता-अभियुक्त ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत अपराध किया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किए गए अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड से संबंधित है।अधिनियम की धारा 3 (2) (v) निम्नानुसार हैः-

/

/

**"**धारा **3-**अत्याचार के अपराधों के लिए दंड **-**

(1) .....

(2) जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, -

/

.....

(v) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ दस साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई भी अपराध करता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा।

/

अधिनियम की धारा 3 (2) (v) का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों के संबंध में किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ दस साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय सजा का प्रावधान करना है, यह जानते हुए कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

/

13. दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य (2006) 3

एस. सी. सी. 771, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- "15. धारा 3 (2) (v) को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इस आधार पर अपराध किया गया होगा कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का

सदस्य है।तत्काल मामले में इस आवश्यकता को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है।अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था क्योंकि वह अनुसूचित ए की सदस्य थी

/

/



जाति.उस प्रभाव के लिए सबूत के अभाव में, अत्याचार अधिनियम की धारा 3 (2) (v) लागू की गई थी, तब विधि  के संचालन द्वारा, सजा आजीवन कारावास और जुर्माना होती।

जैसा कि उच्चतम न्यायालय  ने अभिनिर्धारित किया है, अपराध ऐसा होना चाहिए जिससे अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत  अपराध को आकर्षित किया जा सके। व्यक्ति के खिलाफ अपराध इस आधार पर किया गया होगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।वर्तमान मामले में, यह तथ्य विवादित नहीं है कि मृतक "खंगर"-अनुसूचित जाति से संबंधित था।यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपराध केवल इस आधार पर किया गया था कि पीड़ित अनुसूचित जाति का सदस्य था और इसलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत  अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि पोषणीय  नहीं है।

/

/

14. जहां तक भारतीय दंड संहिता  सी. की धारा 302 के अंतर्गत  दोषसिद्धि का संबंध है, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, भारतीय दंड संहिता  सी. की धारा 302 के अंतर्गत  अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता  सी. की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत  दोषसिद्धि के रूप में संशोधित किया गया है। अपीलार्थी-अभियुक्त बारह वर्ष से अधिक समय से जेल में सजा काट रहा है।अधीक्षक, केंद्रीय जेल, ग्वालियर द्वारा जारी जेल प्रमाण पत्र के अनुसार, अपीलार्थी ने बारह साल से अधिक (आई. डी. 1 पर) जेल में वास्तविक सजा काट ली है और आज की तारीख तक, उसने तेरह साल से अधिक की सजा काट ली है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय दंड संहिता  सी. की धारा 304 भाग II के अंतर्गत  दोषसिद्धि के लिए, अपीलार्थी को पहले से गुजर चुकी अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है।

/

/

15. परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत  अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया जाता है और वह उक्त आरोप से बरी हो जाता है।भारतीय दंड संहिता  सी. की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत  अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता  सी. की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत  दोषसिद्धि के रूप में संशोधित किया गया है और उसे पहले से गुजर चुकी अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है।तदनुसार, अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात  जाती है और अपीलार्थी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

/

/

अंकित ज्ञान

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात  है।

/